10/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप।
आवेदक स्व. श्री ओर से उपस्थित
मु. पत्र पेश किया गया।
उप आवेदकगण की तलबी जारी
रजि: डाक से सरवाले जाने के
बावजूद अनु: रहने पर इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी
जाती है पत्रावली वास्ते बहस
हेतु आगे दिनांक 24/1/25 को
पेश हो।

24/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते
आदेश हेतु आगे दिनांक 28/1/25
को पेश हो।

उ. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ

28/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप।
दौरान बहस वकील आवेदक ने बयान
किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि
गोपाल सिंह कि [illegible]
आधा ताल [illegible] नहीं
हुआ है। आवेदक [illegible]
वारिस है अतः आधा ताल भूमि का
विधिवत विभाजन नहीं हो जाती
उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके पर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:39:37 IST
Reason: SelfAttested

उ. सी. ई. एम. (का. दे.)
नवलगढ

cont...

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
CONT..	रिपोर्ट की सत्यापित्ति बनाये रखने हेतु अनावेदकगण को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि अनावेदकगण उक्त भूमि को चेन्ज एण्ड डेमेज नहीं करें। जवाब अदरत में वकील अनावेदकगण ने कथन किया कि आवेदक का पिता गोपाल सिंह ने उक्त भूमि को क्रय किया था जिसका उल्लेख आवेदक ने सह रजिस्ट्रा 4 में किया है। अतः इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि आवेदक कि पैतृक संपत्ति न होकर स्वअर्जित संपत्ति है उक्त विवादग्रस्त भूमि में अनावेदक रजिस्ट्रा। धर्मपाल ने 55/256 हिस्सा क्रय किया कां। जिस पर अनावेदक रजिस्ट्रा। का कब्जा काश्त है। मैंने। अनावेदक सं। ने उक्त क्रय [illegible] में लुहं का निर्माण [illegible] है। जिसपर विद्युत कनेक्शन [illegible] हेतु दिनांक 24/11/24 को अंतरिम स्थगन आदेश में दुट प्रधान करते हुए दिनांक 24/11/24 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश को स्थायित्व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:39:37 IST
Reason: SelfAttested

CONT...

	आदेश	कार्यवाही विवरण
	cont..	फरमाया जावे। बहस का सुनना किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में अनावेदक सं० 1 का हिस्सा 55/256 दर्ज रिकार्ड है। अनावेदक सं. 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर कुएँ को निर्माण किया है। अतः अनावेदक सं० 1 को भूमि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन लगवाने जाने हेतु छूट दिया जाना उचित है। अतः अनावेदक सं० 1 को दिनांक 24/11/24 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश में विद्युत कनेक्शन लगवाने जाने हेतु छूट प्रदान की जाती है शेष आदेश यथावत रहेगा।
24/11		
28/1		तात्कालिक पावा पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर रहे कार्य हो। तथा बाद तामील जाएता दफ्तार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:39:37 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एस. (का. दे.)
नवलगढ़